संशोधित नियमावली

1.संस्था का नाम — सर एन0एस0 शिक्षा समिति
2.संस्था का पता — मुस्तफाबाद रोड, शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
3.संस्था का कार्यक्षेत्र — समस्त उत्तर प्रदेश ।
4.संस्था के उद्देश्य — संलग्नक स्मृति पत्र के अंकितानुसार ।
5.संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग : —

<u>संरक्षक सदस्यः—</u>
जो सज्जन इस संस्था को 1001/—रू0 या इससे अधिक मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा ।
<u>आजीवन सदस्य —</u>
जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501/— रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल—चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।
<u>सामान्य सदस्य :—</u>
जो व्यक्ति संस्था को 251/— रूपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा ।
<u>विशिष्ट सदस्य —</u>
ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एंव संस्था का तन,मन,धन से सहयोग करने के लिऐ तत्पर रहते हो व जो विद्वान होंगें सरकार द्वारा सम्मानित एंव उपाधि प्राप्त सदस्यो जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एंव चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

6.सदस्यता की समाप्ति :—

1. मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
3. संस्था की लगातार 3 बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
4. किसी सदस्य के विरूद्ध 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर ।
5. त्याग पत्र दिये जाने पर उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
6. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7.संस्था के अंग :— अ— साधारण सभा ब— प्रबन्धकारिणी समिति ।
8.साधारण सभा :—

अ— गठन :—
साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

2..पर

22-- आश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु समय–समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, ऑगनवाडी, बालवाडी, नारी निकेतन, प्रौढ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सांस्कृतिक कला केन्द्रों, व बाल श्रमिक बच्चों केउत्थान हेतु बाल श्रमिक विद्यालय की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना ।

23-- पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने एवं प्रदूषण को कम करने के उददेश्य से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों तथा विद्यालयों में वृक्षारोपण कराना एवं पौधशाला की स्थापना करना एवं ऊसर खाली पडी बंजर भूमि पर सरकार के माध्यम से सघन वृक्षीकरण करना एवं बनीकरण को बढावा देना ।

24-- समाज के पिछडे व अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की समुचित व्यवस्था सरकार से अनुदान प्राप्त कर करना साथ हीं उर्दू अरबी, फारसी, मदरसों की स्थापना करना एवं समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त कर छात्रवृत्ति प्रदान करना।

25-- कम्प्यूटर शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, वायो–इंजीनियरिंग, रिसर्च एण्ड डवलपमैन्ट सेन्टर की स्थापना एवं संचालन करना इसके साथ विभिन्न विषयों पर शोध कार्य का संचालन करेंगी एवं उनके लिये सम्बद्धता एवं आर्थिक सहयोग सम्बन्धित विभागों से लेना ।

26-- निर्धन एंव अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय,यूनीसेफ, हडको, महिला एंव बाल विकास विभाग,कपार्ट,काई,सिप्सा, नावार्ड,आवार्ड,नौराड, डूडा,सूडा, सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष,बाल विकास पुष्टाहार,महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल भवन, हस्त वस्त्र शिल्प मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, राजीव गॉधी फाउण्डेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं अधिकारिता मंत्रालय, पशु पालन विभाग, उ0 प्र0 खादी तथा ग्रांमोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजना व कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वागीण विकास करना ।

Firozabad (U.P.)